remains with the agriculturists besides the Rabi crop which has now rushed into the markets. But unfortunately the rice millers as well as F.C.I. are placed in an extremely difficult position due to the non-availability of railway wagons for movement of foodgrains.

The rice milling industry in the State is in a very critical condition and is also threatened with the risk of facing extinction. I regret to bring to the notice of the hon. Minister of Railways that wagons are not at all provided by the Railways for transport of rice. As a consequence several lakhs of tonnes of* rice and paddy got stagnated in the mills. The millers are not able to pay cash to the growers. There are above two lakhs employees working under different categories in the rice mills which are participating in procurement programme.

There are more than 30,000 indents pending in the South Central Railway for supply of wagons and out of this 20,000 indents are pending for more than 2 to 3 months in Vijayawada Division alone which comprises of the coastal districts of Krishna and Godavari Delta areas which are the main producing centres. The movement of free trade from Andhra Pradesh is mostly to Kerala, Karnataka, Maharashtra and West Bengal.

I request the hon. Minister of Railways to kindly take into consideration the gravity of the situation caused by the shortage of wagons and help the industry and rice-growers in Andhra Pradesh.

The following measures are to be undertaken urgently:—

(i) To alter 'D' priority allotted for movement of free trade rice suitably to ensure supply of wagons in view of the decrease in percentage of levy from 80 per cent to 20 per cent and increase free trade percentage from 20 per cent to 80 per cent.

(ii) A commodity quota of minimum of at least 6 full rakes of covered wagons and covered Box wagons per week for movement of free trade rice.

(iii) Free supply of open wagons as and when the industry is prepared to load rice in open wagons.

(iv) Unrestricted movement should be allowed to destinations in the States of Kerala, Maharashtra, West Bengal and Karnataka.

(vii) FORMATION OF NEW MINISTRY IN BIHAR

श्री राज नारायण (रायबरेली) : गत 19 अप्रैल, 79 को बिहार के मुख्य मंत्री को विश्वास मत प्राप्त करने का आदेश था। श्री कर्पूरी जी ने इस मत प्राप्त करने की प्रक्रिया में 105 वोट प्राप्त किये जबकि विरोध में 135 वोट गए। नये नेता के चुनाव के लिए 20 तारीख पहले ही से तय थी, किन्तु 20 तारीख को नेता पद का चुनाव नहीं हुआ और श्री समर गुहा लोक सभा के सम्मानित सदस्य जो पर्यवेक्षक नियुक्त किये गये थे, ने यह बयान भी दिया कि यह चुनाव जो आज होना निश्चित था बहुत रहस्यमय ढंग से टाल दिया गया। मुझे कोई जानकारी नहीं कि चुनाव टला क्यों? . . . (व्यवधान) . . जहां तक प्रतिष्ठित नागरिकों का ख्याल है, उनका कहना है कि पटना में बिरला ग्रुप, टाटा ग्रुप और डालमिया ग्रुप तथा शुगर के बड़े-बड़े मालिकान जिनकी मिलें राज्य सरकार ने ले ली थीं तथा शराब के बड़े बड़े दुकानदार और ठेकेदार जो शराबबन्दी योजना से प्रभावित थे सबने पटना के बड़े बड़े होटलों में अपना कैम्प लगा लिया था और श्री कर्पूरी सरकार को गिराने के लिए पानी की तरह पैसा बहाने का निर्णय ले लिया था।

जनता पार्टी विधायकों की एक आवश्यक बैठक श्री कर्पूरी जी की अध्यक्षता में उनके निवास स्थान पर हुई थी जिसमें सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पास

हुआ था कि हम सब विधायक जो कर्पूरी जी के नेतृत्व में विश्वास करते हैं और आर० एस० एस० या अन्य किसी साम्प्रदायिक शक्तियों के साथ सरकार नहीं बनायेंगे और न ऐसी सरकार बनाने की प्रक्रिया में कोई सहयोग देंगे।

जब विरोधी पक्ष ने श्री राम सुन्दर दास जी को नेता पद का उम्मीदवार बनाया तो कर्पूरी जी ने श्री समर गुहा को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि हम श्री राम सुन्दर दास जी के विरोध में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे और उनसे यह उम्मीद करेंगे कि वह अपने मंत्रिमंडल में आर० एस० एस० या आर० एस० एस० जैसी अन्य साम्प्रदायिक संस्थाओं के सदस्यों को नहीं लेंगे और यदि वे ऐसा करेंगे तो हमारा समर्थन वापस हो जाएगा। यह इसलिए था कि राम सुन्दर दास जी हरिजन थे, इसलिए हमने उनके विरोध में किसी को खड़ा नहीं किया। 21 अप्रैल को साढ़े चार बजे सायं का समय शपथ दिलाने का तय हुआ। जब इस बात की जानकारी हम लोगों को हुई तो हमने राज्यपाल को फौरन यह खत भेजा कि सदन में 163 सदस्य कम से कम सरकार चलाने के लिए चाहिये और रामसुन्दर जी के पास कुल 116 या 11 हैं। हमने अपना समर्थन वापस ले लिया है। अन्य किसी विरोधी दल ने अपना समर्थन देने का वादा नहीं किया है। ऐसी स्थिति में एक अल्पसंख्यक नेता को शपथ दिलाना संविधान का मखौल होगा और सरकार एक दिन भी नहीं चल पायेगी।

राज्यपाल जी ने हमारा पत्र पाते ही बात की। उनका कहना था चूंकि श्री कर्पूरी जी ने एक आदमी श्री राम सुन्दर दास जी का विरोध न करने की बात की है तो राम सुन्दर दास जी को हम शपथ दिला ही सकते हैं। इस पर वरिष्ठ संसदीय सदस्य श्री श्याम सुन्दर नन्दन मिश्र जी जो वहां उपस्थित थे उनको हमने फोन थमा दिया, उन्होंने काफी देर तक बहस की कि आप किसी व्यक्ति के लेटर का आधा पार्ट लें, आधा न लें, यह उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अन्य संवैधानिक पहलुओं पर भी प्रकाश डाला मैंने उनको लिखा कि आपको शपथ नहीं दिलानी चाहिये। इसके अलावा उनको हमने श्री अयंगर साहब जब बिहार में राज्यपाल थे उस समय की घटनाओं का ध्यान दिलाया किन्तु राज्यपाल जी की बात से बराबर यह लगता था कि उन्होंने एक व्यक्ति नेता श्री राम सुन्दर दास को शपथ दिलाने का फैसला कर लिया है। इस आधार पर कि मुख्य मंत्री श्री कर्पूरी जी ने स्वयं श्री राम सुन्दर दास जी का विरोध न करने की बात कही है। अब अगर राम सुन्दर दास जी आगे मंत्रिमंडलीय सदस्यों में ऐसे लोगों को भरेंगे जिनको उन्होंने वर्जित किया है तब यह सवाल उठ सकेगा कि। . . . (व्यवधान) . . .

श्री विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : यह 377 में कैसे आता है? यह कोई तरीका है?

MR. SPEAKER: Let him go ahead. He is only objecting to the procedure adopted.

श्री राज नारायण: राज्यपाल की बात से ऐसा लगता था कि दल के नेता को शपथ दिला दें, अन्य किसी को नहीं। यह बात करीब करीब उन्होंने श्री श्याम नन्दन मिश्र जी को भी बतायी।

शपथ समारोह पहले साढ़े चार बजे होने को था। बाद में समय साढ़े छः बजे कर दिया गया। इस बीच में विश्वसत सूत्रों से हमें यह भी जानकारी कराई गई कि पटना का जहाज उड़ने के बाद उसे रोक कर श्री सुन्दर सिंह भण्डारी जी की बात कराई गई। ।. . . (व्यवधान) . .

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: (Bombay North-East): Sir, I rise on a point of order.

MR. SPEAKER: Just a minute. What is your point of order?

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: It draw your attention to Rule 377. Having been exposed to the kind of things that we are allowed to raise here under Rule 377, I would like to understand from you on what basis you allowed Mr. Raj Narain to bring the entire party matter on the pretext of one small Constitutional point. What has it got to do with RSS or Birlas?

MR. SPEAKER: I do not see any point of order. We have been allowing other comments also.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: It has nothing to do with a matter of urgent public importance.

MR. SPEAKER: So far as the statement is concerned he may be right or he may be wrong but he is complaining about the attitude of the Governor. There were large number of passages even against the Governor which have not been allowed and got deleted.

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, किसने रुपा दिया, किसको दिया उसका यहां पर क्या सम्बन्ध है ? . . . (व्यवधान)

श्री बसंत साठे (अकोला) : जब कोई कुछ कहता है जो उसका ताल्लुक हो सकता है । पैसा किसने दिया, टाटा ने, बिड़ला ने; यह आना चाहिये । (व्यवधान)

श्री राजनारायण : इस बीच में विश्वस्त सूत्रों से हमें यह भी जानकारी कराई गई कि पटना का जहाज उड़ने के बाद उसे रोक कर श्री सुन्दर सिंह भण्डारी जी की बात कराई गई फलस्वरूप श्री कैलाशपति मिश्र को भी शपथ दिलाई गई । कैलाशपति मिश्र आर० एस० एस० के बहुत माने जाने नेता हैं । आरक्षण के घोर विरोधी हैं ।

यहां तक घटनाओं का संक्षिप्त विवरण है । मेरी राय में एक अल्प मत नेता को जब तक कहीं अन्य संस्था से समर्थन प्राप्त न होतब तक उन्हें शपथ नहीं दिलाना चाहिये ।

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके प्रोटेस्ट में सदन से वाक-आउट करता हूं । इस तरह की चीज आपने यहां पर एलयऊ की है, जानबूझ कर पोलिटिकल बातों को यहां पर ये रख रहे हैं ।

(Shri Vijay Kumar Malhotra then left the House)

डा० बलदेव प्रकाश (अमृतसर) : यह बिल्कुल गलत है, इस तरह का फैसला आपने दिया है । 377 के अन्तर्गत यह कैसे आ सकता है ? (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Order, Order. I am on my legs. No statement against Mr. Bhandari has been made. All that has been said is that there was a talk between him and Mr. Bhandari.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Sir, I draw your attention to Rule 352 para (v). It says:

"reflect upon the conduct of persons in high authority unless the discussion is based on a substantive motion drawn in proper terms;"

MR. SPEAKER: If he had made any reflection on Mr. Bhandari I would certainly have excluded it. He has merely said that there was a talk between him and Mr. Bhandari.

(Interruption) **

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: He is commenting on the conduct of the Governor.

MR. SPEAKER: So far as Rule 352 is concerned you cannot make any reflection on any person in high authority. That is the rule. It does not preclude you from criticising his official action. But you cannot attribute motives. You cannot attribute *mala fides*.

That is all.

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar): I want to raise a point of order. Please see Rule 352 and 353. Kindly see that..

MR. SPEAKER: I have already done that. I have given the rule.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Kindly hear me patiently. I am entitled to be heard.

श्री चन्द्र शेखर सिंह (वाराणसी) : अध्यक्ष महोदय, यहां पर तो 377 में एक सज्जन ने यह मामला उठाया था कि नदियों में केवल हिन्दू धर्मावलम्बी स्नान करते हैं और उसकी इजाजत दे दी गई थी । . . . (व्यवधान) . . .

SHRI RAJ NARAIN: I rise on a point of order.

(*Interruption*)**

MR. SPEAKER: Don's record anything.

(*Interruption*)**

MR. SPEAKER: Don't record. Nothing is recorded.

What is your point of order, Mr. Gupta?

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Please see what is given under 'Explanation.' It says:—

"The words 'persons in high authority' mean persons whose conduct can only be discussed on a substantive motion drawn in proper terms under the Constitution or such other persons whose conduct, in the opinion of the Speaker, should be discussed on a substantive motion drawn up in terms to be approved by him."

Then I come to Rule 353. It says:—

"No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given previous intimation to the Speaker and also to the Minister concerned.."

MR. SPEAKER: You are reading it now. I have read it earlier.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: I am coming to the point. Shri Raj Narainji is a very good friend of mine. He has not right to say anything against a Member who is a Member of the other House. To say that the report is untrue is a reflection on the Governor himself. If you put up with such statements, then, what will be the position of this House ?

MR. SPEAKER: Kanwar Lal Gupta, now you are on a point of order, and not on a lecture.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Rule 377 is regarding drawing Government's attention on urgent and important matters.

MR. SPEAKER: I think you understand the position. Whenever a person of high authority is involved, you cannot reflect on his conduct. That does not mean you cannot say that his decision is wrong. It is not a reflection on his conduct. There have been at least 3½ paragraphs reflecting on the conduct of several persons. I have completely deleted that. I have not allowed that.

SHRI RAJ NARAIN: I rise on a point of order..

MR. SPEAKER: Saying that he had a talk with Mr. Sunder Singh Bhandari is not a reflection on his charac-

**Not recorded.

(Rr. Speaker)

ter. Saying that his decision is wrong, is not a reflection on his character. (*Interruptions*). I am on my legs. Now you please go on, Mr. Raj Narain.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Rule 377 is only in respect of matters of urgent public importance.

MR. SPEAKER: This is an urgent matter according to him. I don't decide.

Mr. Raj Narain, please read your statement.

You have come up to the last paragraph.

श्री राजनारायण : अतः सदन में इस प्रश्न को उठाते हुये मेरी मांग है कि बिहार राज्य में होने वाले इस नेता पद के चुनाव को रद्द किया जाय । राज्यपाल को लिखे गये पत्र की प्रतिलिपि अन्य समय हम अलग से दे देंगे । मेरा निवेदन है कि सरकार की गलत प्रतिक्रियाओं पर सदन रोक नहीं लगायेगा तो अपने देश में संसदीय जनतंत्र के स्थान पर संसदीय तानाशाही आ जाएगी जो जनता पार्टी की घोषित नीति के पूर्णतः विरुद्ध होगी । मूल बात यहां पर ध्यान देने की यह है कि नेता पद का चुनाव किसकी अध्यक्षता में हुआ और नेता कौन चुना गया । इसकी जानकारी राज्यपाल को किसने दी ? जहां तक मैं समझता हूं कि श्री समर गुह द्वारा दी गई जानकारी पर राज्यपाल को कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है । श्री समर गुह पार्टी के आंतरिक चुनाव को सम्पन्न कराने की प्रक्रिया की केवल देख-रेख करने वाले थे न कि राज्यपाल को सलाह देने का अधिकार उनको था ।

MR. SPEAKER: We will now go to the next item.

SHRI RAJ NARAIN: On a point of order.

---

††Not recorded.

मेरी प्रार्थना है कि संसदीये प्रथा को कंवरलाल जो गुप्त भी जानते हैं और हम भी जानते हैं ।**

MR. SPEAKER: This is not a point of order. Do not record.

FINANCE BILL, 1979

MR. SPEAKER: The House will now take up further consideration of the following motion moved by Shri Charan Singh on the 24th April, 1973, namely:—

"That the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the Financial year 1979-80, be taken into consideration."

Before we proceed further, there was a suggestion yesterday that we should sit till 7.00 O'clock today and tomorrow, otherwise we will not be able to complete discussion on it by tomorrow. Is it the pleasure of the House that we sit till 7-00 P.M. today and tomorrow?

SOME HON. MEMBERS: Yes.

MR. SPEAKER: The House will be sitting till 7-00 P.M. today and tomorrow.

Shri Heera Bhai

श्री हीरा भाई (बांसवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल वित्त मंत्री जी के वित्त विधेयक पर चर्चा कर रहा था । मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे जो पिछड़े हुए जिले हैं उन में शिक्षा का प्रसार हो ।

अध्यक्ष महोदय, नयी शिक्षा नीति के अन्तर्गत पांच साल के लिए कालेज खोलने पर बैन लगा दिया गया है लेकिन फिर भी उसमें यह प्रावधान रखा गया है कि जो आदिवासी क्षेत्र हैं, आदिवासी पिछड़े क्षेत्र हैं वहां पर कालेज खोले जाएंगे और वे स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी से खोले जायेंगे । इसी प्रावधान के अनुसार राजस्थान सरकार ने बांसवाड़ा जिले में कुशलगढ़ और सांगवाड़ा में कालेज खोलने का निर्णय लिया और वहां पर कालेज खोले